न्यायालय जिला कलेक्टर, पाली

पीठासीन अधिकारी :: श्री सुधीर कुमार शर्मा आई.ए.एस.

राजस्व अपील:: 12/2018 ::

अपीलांट :–	बनाम	रेस्पोडेन्ट :–
रामनिवास पुत्र दुर्गाराम जाति जाट उम्र 58 वर्ष, निवासी लिलरिया, तहसील जैतारण जिला पाली		राज्य सरकार जरिए भूमिधारी तहसीलदार जैतारण।

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :– अपीलांट की ओर से एडवोकेट श्री श्याम पंचारिया
रेस्पोडेण्ट की ओर से सरकारी पैरोकार श्री खीमाराम

–:: नि र्ण य ::–

दिनांक :– 22.02.2018

अपीलांट की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत तहसीलदार, जैतारण के न्यायालय के प्रकरण संख्या 244/2017 अर्न्तगत धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम बअनवान सरकार बनाम रामनिवास आदेश दिनांक 01.01.2018 के विरुद्ध पेश की। अपील म्याद बाहर होने से धारा 5 लिमिटेशन एक्ट के तहत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया। अपील सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट जरिये सम्मन व अपीलाधीन रेकार्ड तलब किया गया। बहस सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलांट ने कथन किया कि पटवारी हल्का आनन्दपुर कालु चक नम्बर 1 ने अपीलाण्ट को ग्राम लिलरिया के खसरा नम्बर 29 रकबा 10 बिस्वा गै. मु. रास्ते की भूमि पर पाला/खंदक लगाकर पश्चातवर्ति अतिक्रमण करने बाबत रिपोर्ट बनाकर अधीनस्थ न्यायालय में पेश की, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 244/2017 कायम कर दिनांक 27.12.2017 को न्यायालय में उपस्थित होने बाबत अपीलाण्ट को जरिये नोटिस तलब किया। जिसका निर्णय दिनांक 01.01.2018 को अपीलाण्ट को बिना सुनवाई/जवाब/साक्ष्य का मौका दिए पारित किया जाकर अपीलाण्ट को अतिक्रमित आराजी से भौतिक रूप से बेदखली के आदेश के साथ ही जुर्माना अधिरोपित किया तथा अपीलाण्ट को पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानते हुए तीन माह के सिविल कारावास से भी दण्डित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय का उक्त निर्णय विधि विरूद्ध होने से निरस्त योग्य है। जैर अपील प्रकरण में अपीलार्थी को सुनवाई बाबत पर्याप्त अवसर नहीं दिए गए। जबकि सिविल कारावास जैसे कठोर निर्णय को पारित करने से पूर्व अपीलाण्ट को साक्ष्य, सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिया जाना आज्ञापक है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेशिका दिनांक 01.01.2018 में गठित टीम द्वारा दिनांक 30.12.2017 को सीमांकन किया जाने का उल्लेख किया है। उक्त सीमांकन रिपोर्ट में अपीलाण्ट के समक्ष अथवा उसकी मौजूदगी में तैयार नहीं की गई। इसलिए ऐसी रिपोर्ट के आधार पर जो निर्णय दिया गया है। वह निरस्त योग्य है। जैर अपील प्रकरण में जिस पूर्ववर्ती अतिक्रमण का जिक्र है। उक्त अतिक्रमण पत्रावली संख्या 357/2016 जो अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न है उसमें न तो अपीलाण्ट को नोटिस मिला है न ही अपीलाण्ट तारीख पेशी पर उपस्थित हुआ था एवं न ही अपीलाण्ट को भौतिक रूप से बेदखल किए जाने की रिपोर्ट संलग्न है

क्रमश..........2

जिला कलेक्टर
पाली (राज.)

अर्थात समस्त कार्यवाही अपीलाण्ट को बिना जानकारी दिए बाले–बाले किए जाने से अपीलाधीन आदेश निरस्त योग्य है। अपीलाण्ट की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 35, 39 में अपीलाण्ट के अलावा और भी काफी खातेदार है। जिनको मातहत अदालत द्वारा पक्षकार नहीं बनाया है। ग्राम लिलरिया के रास्ते के खसरा नम्बर 29 के दोनों ओर अतिक्रमण करने वाले 10 खातेदारों के विरूद्ध अतिक्रमण बाबत प्रकरण अन्तर्गत धारा 91 पेश किए गए थे। लेकिन मात्र तीन व्यक्तियों के विरूद्ध ही द्वेषतावश सिविल कारावास की सजा के आदेश पारित किए गए। जो निरस्त योग्य है। अपीलाण्ट के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आदेश पारित किए जाने से निर्णय की उनको जानकारी नहीं हुई। अपीलाण्ट को पुलिस दिनांक 03.02.2018 को गिरफ्तार करने हेतु उसके घर पर आए तब उसे अपीलाधीन आदेश की जानकारी हुई। तत्पश्चात अपीलाण्ट के अधिवक्ता ने नकले प्राप्त कर अपील श्रीमान के समक्ष पेश की जिसे जानकारी से अन्दर म्याद पेश की जा रही है। जिसे अन्दर म्याद शुमार किया जाकर गुणावगुण के आधार पर बाद अवलोकन अपीलाधीन निर्णय अपास्त करावें।

सरकारी पैरोकार ने कथन किया कि अपीलाण्टगण द्वारा ग्राम लिलरिया के खसरा संख्या 29 रकबा 10 बिस्वा गैर मुमकिन रास्ता की भूमि पर पाला/खंदक लगाकर इस वर्ष अतिक्रमण किया है। जिसकी पटवारी हल्का द्वारा टी.पी. रिपोर्ट मातहत अदालत में पेश की गई। जिस पर प्रकरण संख्या 244/2017 सरकार बनाम रामनिवास दर्ज कर नोटिस दिया गया एवं अपीलाण्ट मातहत अदालत में तारीख पेशी 27.12.2017 को उपस्थित हुआ तथा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर भूमि का सीमांकन टीम गठित कर कराने हेतु निवेदन किया। जिस पर मातहत अदालत द्वारा एक तीन सदस्यों की टीम पटवारी हल्का आनन्दपुर कालु, पटवारी हल्का केकिन्दडा एवं भू अभिलेख निरीक्षक आनन्दपुर कालु की गठित की गई। भू.अ. निरीक्षण आनन्दपुर कालू द्वारा जिला अभिलेखागार (भू अ.) पाली से असल सीट की नकल प्राप्त कर सीमांकन किय गया। जिसमें अपीलाण्ट द्वारा अतिक्रमण करना पाया गया तथा गत वर्ष संवत 2073 में भी अपीलाण्ट धारूराम द्वारा अतिक्रमण किया गया था। जिसका प्रकरण संख्या 357/2016 सरकार बनाम रामनिवास दर्ज कर अपीलाण्ट को अतिक्रमित भूमि से बेदखल किया गया था। जिसकी फोटो प्रति भी मातहत अदालत की पत्रावली में संलग्न है। पटवारी हल्का आनन्दपुर कालु के बयान भी लिए गए है। जिसमें खसरा नम्बर 29 रकबा 0.10 बीघा किस्म गै.मु. रास्ता पर अतिक्रमण करने बाबत अपने बयानों में उल्लेख किया है। उपरोक्त सभी तथ्यों से स्पष्ट है कि अपीलाण्ट द्वारा इस वर्ष पश्चातवर्ती अतिक्रमण किया गया है एवं पश्चातवर्ती अतिक्रमण को रोकने की मंशा से मातहत अदालत द्वारा जैर अपील निर्णय पारित किया गया। उसे यथावत रखा जावें।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली एवं अधीनस्थ न्यायालय के रेकर्ड का अवलोकन किया गया। अपीलाधीन प्रकरण में सिविल कारावास जैसे कठोर दण्डादेश पारित किए गए। इसलिए न्याय की दृष्टि से अपील अन्दर म्याद मानी जाकर प्रस्तुत अपील को गुणावगुण पर निर्णित किया जाना न्यायोचित है।

क्रमश..........3

जिला कलेक्टर
पाली (राज.)

अपीलाण्ट द्वारा संवत् 2074 में गांव लिलरिया के खसरा नम्बर 29 कुल रकबा 10 बिस्वा किस्म गै.मु.रास्ता पर अतिक्रमण किया गया है। इस बाबत पटवारी हल्का द्वारा अतिक्रमण की रिपोर्ट पेश करने बाबत अपीलाण्ट को मातहत अदालत द्वारा नोटिस दिया गया। अपीलाण्ट द्वारा तामीलसुदा नोटिस मातहत अदालत की पत्रावली में शामिल है। पत्रावली में संलग्न पटवारी हल्का के बयान से भी स्पष्ट है कि अपीालण्ट द्वारा लिलरिया के खसरा नम्बर 29 रकबा 10 बिस्वा किस्म गै.मु. रास्ता की भूमि पर अतिक्रमण किया गया है। अपीलाण्ट द्वारा अपीलाधीन आदेश पत्रावली में भूमि का सीमांकन एक टीम गठित कराने हेतु निवेदन किया। जिसे स्वीकार किया जाकर तहसीलदार जैतारण द्वारा एक तीन सदस्यों की टीम पटवारी हल्का आनन्दपुरकालु, पटवारी हल्का केकिन्दडा एवं भू अभिलेख निरीक्षक आनन्दपुर कालु की गठित की गई तथा गठित टीम द्वारा 30.12.2017 को नकल असल सीट से जैर अपील खसरा का सीमांकन किया गया। उक्त सीमांकन रूबरू मौतबिरान किया गया। जिसमें अपीलाण्ट का जैर अपील भूमि खसरा नम्बर 29 गैर मुमकिन रास्ता ग्राम लिलरिया पर अतिक्रमण होना पाया गया एवं उक्त अतिक्रमण मौके से हटाया भी जा चूका है। मातहत अदालत की पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि अपीलाण्ट द्वारा विगत वर्ष में उक्त भूमि पर अतिक्रमण किया गया था। जिसके संबंध में मातहत अदालत में प्रकरण संख्या 357/2016 सरकार बनाम रामनिवास दर्ज हुआ एवं भौतिक रूप से बेदखली के आदेश पारित करते हुए जुर्माना भी आरोपित किया गया। इस प्रकार अपीलाण्ट द्वारा पश्चातवर्ती अतिक्रमण किया जाना भी मातहत अदालत की पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो से स्पष्ट है। अपीलाण्ट द्वारा ग्राम लिलरिया पटवार हल्का आनन्दपुर कालू के जैर अपील आराजी से कब्जा हटा लेने से वर्तमान में कब्जा नहीं होना जाहिर किया एवं भविष्य में भी अपीलाण्ट अथवा उसके परिवार के सदस्यो के द्वारा रास्ते की भूमि पर अतिक्रमण नहीं करने एवं रास्ते की भूमि को भविष्य में सुरक्षित व संरक्षित रखने बाबत एक शपथ पत्र प्रस्तुत किया है। वर्तमान में जैर अपील भूमि अतिक्रमण मुक्त कर दी गई है एवं रास्ता मौके पर खुला है।

परिणामस्वरुप अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर तहसीलदार, जैतारण के न्यायालय के प्रकरण संख्या 244/2017 अर्न्तगत धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम बअनवान सरकार बनाम रामनिवास आदेश दिनांक 01.01.2018 में तीन माह के सिविल कारावास की सजा को अपास्त किया जाता है एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जैर अपील भूमि से बेदखल करने एवं जुर्माना अधिरोपित करने के आदेश को यथावत रखा जाता है तथा अपीलाण्ट को भविष्य में राजकीय भूमि पर अतिक्रमण नहीं करने की हिदायत दी जाती है। निर्णय की सत्य प्रति के साथ प्राप्त मूल रेकर्ड तहसीलदार, जैतारण को पालनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु भिजवाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 22.02.2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुधीर कुमार शर्मा)
जिला कलेक्टर, पाली

जिला कलेक्टर
पाली (राज.)